न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामां जिला डीग
द्वारा श्री दिनेश शर्मा आरएएस उपखण्ड

मुकदमा नं0 18/2022

1- श्रीगोपालक वृन्दावन गउशाला अकबोर ग्राम जरिये राजेन्द्र प्रसाद पुत्र बालचन्द जाति विप्र निवासी अकबोरग्राम पोस्ट गुहाना तहसील डीग जिला डीग

अपीलान्ट

बनाम

1- ग्राम पंचायत कनवाड़ा मनोनयन समिति कामां जरिये सरपंच ग्राम पंचायत कनवाड़ा तहसील कामां

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्व/भू-राजस्व अधिनियम
दाखिल खारिज नं0 772 वाके ग्राम गुहाना तहसील
कामां अज आदेश दिनांक 19.12.2020

निर्णय

दिनांक — 27.06.2023

अपील अपीलान्ट श्रीगोपालक वृन्दावन गउशाला अकबोर ग्राम जरिये राजेन्द्र प्रसाद पुत्र बालचन्द जाति विप्र निवासी अकबोरग्राम पोस्ट गुहाना तहसील डीग जिला डीग द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम के तहत दाखिल खारिज नं0 772 वाके ग्राम गुहाना तहसील कामां अज आदेश दिनांक 19.12.2020 पेश कर निवेदन किया है कि खसरा नम्बर 186/1.95, 187/2.12, 188 4.75 हैक्टेयर वाके ग्राम गुहाना के 1/20 हिस्सा रकबा को गउशाला के लिए दिनांक 30.8.2020 को हरवीर पुत्र महासिंह से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद किया था। जिसे दाखिल खारिज करने हेतु पटवारी हल्का को दे दिया जिस पर पटवारी हल्का कनवाड़ा द्वारा दिनांक 25.8.2020 को रजिस्टर्ड बयनामा के आधार पर दाखिल खारिज नं0 772 को नियमानुसार अपीलान्ट के पक्ष में दर्ज किया जिसकी जांच दिनांक 24.11.2020 को गिरदावर हल्का ने नियमानुसार की जांच रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 4.12.2020 को दाखिल खारिज नं0 772 को अपीलान्ट के पक्ष में स्वीकार मंजूर कर फैसला कर दिया गया। जिसकी नकल अपीलान्ट को जारी कर दी गई। जिसके बाद दिनांक 4.12.2020 को रेस्पोडेन्ट द्वारा दाखिल नं0 772 को अपीलान्ट के पक्ष में फैसला कर देने के बाद अपीलान्ट निश्चिन्त हो गये परन्तु अब दिनांक 4.12.2021 को रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट को स्पष्ट शब्दों में धमकी देते हुए कहा कि हमने जो दाखिल खारिज नं0 772 बयनामा के आधार पर तुम्हारे पक्ष में फैसला किया था उसको हमने दिनांक 19.12.20221 को खारिज कर दिया है जिसकी जानकारी उसी दिन दिनांक 1.12.2021 को पटवारी हल्का से दाखिल खारिज नं0 772 की पुनः नकल प्राप्त करने पर हुई। इससे पूर्व अपीलान्ट को दाखिल खारिज नं. 772 पर रेस्पोडेन्ट के पारित आदेश दिनांक 19.12.2020 की कतई जानकारी नहीं थी। बाद जानकारी के अपील अपीलान्ट अन्दर म्याद पेश है। एवं ग्राम पंचायत रेस्पोडेन्ट का दाखिल खारिज नं0 772 पर दिनांक 19.12.2020 को पारित आदेश अवैध गैर कानूनी होने के कारण निम्न आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है। पुनः जांच कर फैसला करने से पूर्व ना तो अपीलान्ट को न ही सुनवाई के लिए नियमानुसार नोटिस किये ना ही अपीलान्ट को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। जिससे सबब रेस्पोडेन्ट का आदेश दिनांक 19.12.20 ऐक्स पार्टी होने से काबिले निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट ने दिनांक 19.12.20 को पुनः आदेश पारित करने से पूर्व मौका व कब्जा की कतई जानकारी नहीं कर भारी भूल की है जिसके

जिससे अपील को खारिज किया जा सके । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होती है ।

अतः आदेश दिया जाता है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाता है तथा दाखिल खारिज नं0 772 दिनांक 19.12.2020 को खारिज किया जाता है । तथा पत्रावली प्रेषित कर तहसीलदार कामां को आदेश दिया जाता है प्रकरण की पत्रावली का पुनः परीक्षण कर बावत नामान्तकरण नियमानुसार निर्णय करें । प्रकरण फैसला अनुसार होकर बाद तकमील तामील दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2023 को खुले न्यायालय पढकर सुनाया गया ।

(दिनेश शर्मा)
सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
कामां (कामां (डीग)ज०